भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 959

25 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

959. डा. अशोक कुमार मित्तल:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कार्य कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न इस्पात संयंत्रों का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड सहित देश में उक्त संयंत्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में तय की गई समय-सीमा, यदि कोई है, सहित तत्संबंधी संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 को कार्यान्वित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) देश में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र.सं.	**इस्पात संयंत्र/इकाई का नाम**	**स्थान**	**राज्य**
1	भिलाई इस्पात संयंत्र, सेल	भिलाई	छत्तीसगढ़
2	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, सेल	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
3	राउरकेला इस्पात संयंत्र, सेल	राउरकेला	ओडिशा
4	बोकारो इस्पात संयंत्र, सेल	बोकारो	झारखंड
5	इस्को इस्पात संयंत्र, सेल	बर्नपुर	पश्चिम बंगाल
6	अलॉय इस्पात संयंत्र, सेल	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल
7	सेलम इस्पात संयंत्र, सेल	सेलम	तमिलनाडु
8	विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड, सेल	भद्रावती	कर्नाटक
9	विजाग इस्पात संयंत्र, आरआईएनएल	विशाखपट्टनम	आंध्र प्रदेश

(ख) और (ग): इस्पात के एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र होने के कारण देश के विभिन्न इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार संबंधी निर्णय वाणिज्यिक आधारों तथा बाजार की परिस्थितियों के आधार

पर संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा लिए जाते हैं। आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) तथा राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण एवं विस्तार का अंतिम चरण वर्ष 2006-07 से 2018-19 के दौरान संपन्न हुआ था। इसके फलस्वरूप, क्रूड इस्पात उत्पादन क्षमता की क्षमता 15.8 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) से बढ़कर 26.9 एमटीपीए हो गई। इसमें सेल के भिलाई (छत्तीसगढ़), बोकारो (झारखंड), राउरकेला (ओडिशा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) तथा आरआईएनएल के विशाखपट्टनम (आंध्र प्रदेश) के इस्पात संयंत्र शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय इस्पात नीति (एनएसपी), 2017 के 300 एमटीपीए इस्पात उत्पादन क्षमता के लक्ष्य के अनुसार, सेल की मौजूदा क्रूड इस्पात उत्पादन क्षमता को 20.63 एमटीपीए से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक अनंतिम रूप से 35.8 एमटीपीए तक पहुँचाने के लिए आधुनिकीकरण एवं विस्तार की योजना तैयार की गई है।

(घ) देश की वर्तमान वार्षिक क्रूड इस्पात उत्पादन क्षमता 154.27 मिलियन टन है तथा इसके वर्ष 2030-31 तक राष्ट्रीय इस्पात नीति के लक्ष्य के अनुसार 300 मिलियन टन तक पहुँचने की परिकल्पना की गई है। इस उद्देश्य के लिए, इस्पात मंत्रालय इस्पात उत्पादकों को नीतिगत सहायता तथा मार्गदर्शन के माध्यम से सुविधा प्रदान करता है। इस दिशा में उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. भारत में निर्मित इस्पात की खरीद को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।
ii. स्वदेशी रूप से उत्पन्न होने वाले स्क्रैप की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित करना।
iii. गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण तथा आयात को रोकने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करना।
iv. इस्पात आयातों के अग्रिम पंजीकरण के लिए इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस)।
v. पूँजीगत निवेश को आकर्षित करके घरेलू उपयोग और निर्यात के लिए देश में ही विशेष इस्पात के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित करना।

****